बिल का सारांश

चिट फंड्स (महाराष्ट्र संशोधन) बिल, 2023

- चिट फंड्स (महाराष्ट्र संशोधन) बिल, 2023 को 7 दिसंबर, 2023 को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया। यह बिल महाराष्ट्र में लागू होने वाले चिट फंड्स एक्ट, 1982 में संशोधन करता है। यह कानून चिट फंड के रेगुलेशन का प्रावधान करता है। चिट फंड में लोग आमतौर पर कुल राशि प्राप्त करने के लिए धन जमा करते हैं।
- **रजिस्ट्रार के खिलाफ अपील राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा सुनी जाएगी**: एक्ट के तहत, चिट बिजनेस के प्रबंधन से संबंधित विवादों को मध्यस्थता के लिए रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स के पास भेजा जाता है। अगर कोई पक्ष रजिस्ट्रार या उसके नामित व्यक्ति के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह आदेश/निर्णय की तारीख से दो महीने के भीतर राज्य सरकार से अपील कर सकता है। बिल में कहा गया है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी या अथॉरिटी को अपील की जा सकती है। बिल में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार या अधिकारी/अथॉरिटी द्वारा पारित आदेश अंतिम होंगे।
- **लंबित अपील अधिकार प्राप्त अधिकारी को हस्तांतरित की जाएंगी**: बिल में कहा गया है कि राज्य सरकार के सामने लंबित सभी अपील एक अधिसूचना के माध्यम से विधिवत अधिकार प्राप्त होने के बाद अधिकारी या अथॉरिटी को हस्तांतरित कर दी जाएंगी।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

तन्वी विप्रा
tanvi@prsindia.org

15 दिसंबर, 2023